रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935
No. 04] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन।

सं. 15/3/2010-पारेषण.—विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश संकल्प सं. 11/5/2005-पीजी (ii) दिनांक 13-4-2006 के तहत अधिसूचित किए गए थे और 07-07-2007, 10-10-2008 और 02-05-2012 को संशोधित किए गए थे।

उपरोक्त दिशानिर्देशों में एतदद्वारा निम्नलिखित आगे और संशोधन किए जाते हैं।

अधिकार प्राप्त समिति- पैरा 13 को निम्नलिखित के स्थान पर रखा गया है :—

"13. विद्युत मंत्रालय द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता सीईए के सदस्य (विद्युत प्रणाली) द्वारा की जाएगी। सीईए के सदस्य (ई एण्ड सी) समिति के सदस्य होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति में विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग, सीटीयू* के प्रतिनिधि और विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले विद्युत क्षेत्र के दो विशेषज्ञ होंगे।"

धनश्याम प्रसाद, निदेशक (पारेषण)